प्रेषक,

सुशील कुमार,
निदेशक,
पंचायतीराज,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवामें,

प्रमुख सचिव,
पंचायतीराज,
उत्तराखण्ड शासन।

संख्या /842/पं.–2/लेखा/जी.पी.डी.पी./2015–16 दिनांक/0 फरवरी, 2016

विषयः– **14वें वित्त आयोग की संस्तुति के क्रम में ग्राम पंचायतों को संक्रमित धनराशि के अन्तर्गत 10 प्रतिशत कन्टीजेन्सी के उपभोग के सम्बन्ध में दिशा निर्देशों के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र संख्या G-39011/4/2015-FD दिनांक 16 दिसम्बर, 2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न)।

संदर्भित पत्र द्वारा 14वें वित्त आयोग की संस्तुति के क्रम में ग्राम पंचायतों को संक्रमित धनराशि के अन्तर्गत 10 प्रतिशत कन्टीजेन्सी के उपभोग के सम्बन्ध में शासन स्तर से दिशा निर्देश प्रसारित करने की अपेक्षा की गयी है।

पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों में 14वें वित्त आयोग की संस्तुति के क्रम में ग्राम पंचायतों को संक्रमित की गयी धनराशि में 10 प्रतिशत धनराशि कन्टीजेन्सी मद में अनुमन्य की गयी है, जिसमें अनुमन्य कार्य निम्नवत् हैंः–

(I) Hiring of services of professionals like accountant-cum-data entry operators, engineer, etc., on contract basis/piece rate basis and utilizing barefoot professionals or Community Resource Persons at Gram Panchayats (GP) level of for a cluster of GPs for GPDP as per the requirement of the GPs. The expenditure is to be shared by the GPS depending on the quantum of services received.

(II) Purchase of computer and accessories as well as cost of AMC in GPs which do not have any computer at present.

(III) One time cost for providing internet connectivity and recurring charges.

(IV) One time purchase of essential furniture for GP office

(V) Payment of street light/water supply charges if not being met previously from any other scheme or by any other agency. Old arrears should not be paid from this fund.

(VI) Meeting the cost/honorarium of professionals who may visit from time to time to check the quality of civil works.

(VII) Data entry costs

(VIII) One time updation of accounts

(IX) Charges of chartered Accountants Who may audit the accounts, (if they are not the statutory auditors)

(x) Cost of social audit

(XI) Hire charges for vehicles in emergent cased for inspection of works

(XII) Capacity building of functionaries if fund for the Same are not available under any CSS or State sector Scheme

(XIII) Cost of preparation of technical plan for implementation of projects like solid and liquid waste management and drinking water, etc.,

(XIV) Cost of preparation of GPDP- covering all the processes like PRA, IEC, surveys, preparing maps and other documents and holding consultations and cost of essential cunsumables.

(XV) Electrification of GP, including provision of solar lights.

ऐसी गतिविधियाँ/कार्य जिस पर 10 प्रतिशत कण्टीजेन्सी मद का उपयोग नहीं किया जायेगा, निम्नवत् हैं:–

Expenditure on activities already being funded from other schemes Felicitation/cultural functions/decorations/ inaugurations Honorarium, TA/DA of elected representatives and salaries/ Expenditure on doles/ award ,Entertainment ,Purchase of Air Conditioners ,Purchase of Vehicles.

उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में ग्राम पंचायतों/विभिन्न स्तरों के माध्यम से 10 प्रतिशत कण्टीजेंसी की धनराशि से बिन्दुवार निम्नवत् निर्देश जारी करना प्रस्तावित है:–

1– वर्तमान में राज्य की ग्राम पंचायतों को इस हेतु व्यय की स्वीकृति दी जानी उचित नहीं है, क्योंकि अधिकतर ग्राम पंचायतें पर्वतीय क्षेत्र में है तथा जनसंख्या न्यून होने के कारण इन पंचायतों को धनराशि भी न्यून मात्रा मे प्राप्त हो रही है तथा इससे ग्राम पंचायत स्तर पर व्यावहारिक समस्या उत्पन्न हो सकती है, किन्तु विशेष परिस्थितियों में क्लस्टर स्तर पर स्वीकृति देनी हो, तो निदेशक स्तर से स्वीकृति प्राप्त करना उचित होगा।

2– जिन ग्राम पंचायतों को 14वें के अन्तर्गत रू. 20.00 लाख/प्रतिवर्ष हस्तान्तरित है, उनके द्वारा डेस्कटॉप कम्प्यूटर क्रय किया जा सकता है। परन्तु डेस्कटॉप कम्प्यूटर, प्रिण्टर एवं यू.पी.एस. की दर कुल धनराशि रू. 50,000.00 से अधिक व्यय नहीं होगा। यह अनुमति मात्र एक बार के क्रय तक होगी।

क्लस्टर/न्याय पंचायत स्तर पर, क्लस्टर में सम्मिलित ग्राम पंचायतें यदि सहमत हों, क्रय की अनुमति आंकलन पर मुख्य विकास अधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा निर्गत होगी।

मात्र उन पंचायतों द्वारा किया जाएगा जिनके पास अपना पंचायत भवन उपलब्ध है।

3– ग्राम पंचायत में पंचायत भवन पर कम्प्यूटर की उपलब्धता पर ही इण्टरनेट कनेक्टीविटी एवं आवर्ती व्यय हेतु ग्राम पंचायतों को स्वीकृति दी जा सकती है, जिसमें कम्प्यूटर स्टेशनरी भी सम्मिलित है।

4– ग्राम पंचायत के पंचायत भवन में फनीचर उपलब्धता के सत्यापन उपरान्त केवल एक बार के लिए रू. 10,000.00 की सीमा तक योजना में एक बार व्यय अनुमन्य होगा। दरें विभाग द्वारा तय की जाएंगी।

5– ग्राम पंचायत के कार्यालय अर्थात् पंचायत भवन परिसर में स्ट्रीट लाईट्स एवं जल आपूर्ति पर सम्बन्धित ग्राम पंचायत को प्राप्त धनराशि से व्यय की स्वीकृति दी जा सकती है, जिसमें संयोजन एवं बिल भुगतान सम्मिलित है।

6– स्वीकृति दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।

7– डाटा एण्ट्री पर व्यय के भुगतान हेतु स्वीकृति निर्धारित दरों पर अनुमन्य होगी। दरें जिला स्तर पर तय की जाएंगी। कोई व्यक्ति वेतन आधार पर नहीं रखा जायेगा।

8– ग्राम पंचायत के लेखों को अद्यतन करने पर आने वाले व्यय (केवल एक बार के लिए) की स्वीकृति जनपद स्तर पर दी जा सकती है। दरें विभाग द्वारा तय की जायेगी।

9– चार्टेड अकाउण्टेण्ट द्वारा लेखा परीक्षा कराने पर आने वाले व्यय के भुगतान की स्वीकृति की प्रक्रिया एवं दरें विभाग द्वारा तय की जाएंगी।

10– ग्राम पंचायतों को वर्ष में एक बार सोशल ऑडिट कराने पर आने वाले व्यय की अनुमति दी जा सकती हैं। इस हेतु प्रक्रिया एवं दरें जिला स्तर पर तय की जायेगी। सोशल आडिट व्यय का अंश मनरेगा, आई.ए.वाई. के प्रशासनिक व्यय से भी देय होगा।

11– किराये पर वाहन लिया जाना अथवा इससे सम्बन्धित भुगतान की स्वीकृति दिया जाना उचित नहीं है।

12– कर्मचारियों का क्षमता विकास इस मद से किया जाना उचित नहीं है, किन्तु विशेष परिस्थितियों में कर्मचारियों के क्षमता विकास की अत्यधिक आवश्यकता के दृष्टिगत ग्राम पंचायतों को इस पर निर्णय हेतु निदेशक, पंचायतीराज को अधिकृत किया जा सकता है।

13– प्रोजेक्ट के तकनीकी प्लान को बनाने एवं उसके क्रियान्वयन पर आने वाले व्यय जैसे कि ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबन्धन एवं पेयजल इत्यादि पर एजेन्सी एवं कार्य का प्रकार विभाग द्वारा तय किया जायेगा। विभाग द्वारा अनुबन्धत एजेन्सियों द्वारा ही कार्य करवाया जायेगा।

14– ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण पर आने वाली लागत तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत के कार्यालय अर्थात् पंचायत भवन/सार्वजनिक भवन/सरकारी भवन पर इस योजना के प्रचार–प्रसार के लिए आई.ई.सी. के अन्तर्गत वॉल पेंन्टिग/पोस्टर/बैनर इत्यादि का कार्यों पर व्यय की स्वीकृति, 10 प्रतिशत कण्टेजेंसी से दी जा सकती है। व्यय सीमा अधिकतम रू. 5,000.00 प्रति वर्ष होगी।

15– पंचायत भवन की उपलब्धता पर, पंचायत भवन में विद्युतीकरण, जिसमें सोलर लाईट आदि भी सम्मिलित है, व्यय की स्वीकृति दी जा सकती है।

भारत सरकार के स्तर से प्राप्त उक्त निर्देशों/सुझावों के अतिरिक्त सुझाव यह भी है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत को स्टेशनरी पर व्यय की स्वीकृति दी जा सकती है, जिसकी सीमा वर्ष में रू. 5000.00 तक होगी।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रस्ताव के क्रम में ग्राम पंचायतों को 14वें वित्त के कण्टीजेंसी मद में प्राप्त 10 प्रतिशत धनराशि व्यय हेतु दिशा निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुशील कुमार)
निदेशक